न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

अनवान

तृप्ता देवी वगैरह बनाम स्टेट

प्रार्थना पत्र सं. – 05/2024

प्रकरण अन्तर्गत धारा– 136 एल.आर.एक्ट

(जी.एस.एम. नं. – 2024/69)

आदेश तारीख	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
26.03.2024	प्रार्थीगण तृप्ता देवी वगैरह पि. ध्यान सिंह चक 16 पी तहसील अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 01.03.2023 को न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र में पनोदेवी के स्थान पर मनो देवी तथा निर्मला देवी पत्नी खेम सिंह के स्थान पर निर्मला देवी पत्नी बोक सिंह दुरूस्त करने बाबत पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार अनूपगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अनूपगढ़ के रिपोर्ट दिनांक : 28.04.2023 एवं हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 06.03.2024 द्वारा रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट अनुसार चक 16 पी का मु.नं. 98/7, 99/9, 78/55 की कुल 25 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि नामान्तकरण सं. 44 सेउक्त 25 बीघा रकबा प्रार्थीगण श्रीमती पनोदेवी (माता), निर्मला देवी पत्नी खेम सिंह, बक्सीस सिंह, प्रवीण सिंह (पुत्रगण) व श्रीमती तृत्पी देवी, सुरेखा देवी, किरण देवी, संजु (पुत्रियां) पि. ध्यान सिंह पौंग बांध विस्थापित पुख्ता आलोटी के नाम से आवंटन होकर दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी संवत् 2051–2054 बनाते समय सहवन से उक्त खाता में निर्मलादेवी पत्नी खेम सिंह के स्थान पर निर्मला देवी पत्नी बोक सिंह लिखा गया एवं जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 में उक्त रकबा संबंधित खाता सं. 33 में जमाबंदी बनाते समय सहवन से पनोदेवी (माता) के स्थान पर मनोदेवी [illegible] है। वर्तमान जमाबंदी में भी पनोदेवी के स्थान पर मनो[illegible] देवी पत्नी खेम सिंह के स्थान पर निर्मला देवी पत्नी [illegible] दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्तानुसार [illegible] देवी पत्नी [illegible] सिंह, निर्मला देवी पत्नी ध्यान सिंह, खेम सिंह, बक्शीश सिंह, प्रवीण सिंह पुत्रगण ध्यान सिंह, तृप्ति देवी, सुरेखा देवी, किरण देवी, संजू पुत्रियां ध्यान सिंह दुरूस्ती की जानी उचित है। (अजीत कुमार गोदारा) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.06.14 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested

– :: आदेश :: –

तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट एवं अनुशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमाबंदी में चक चक 16 पी का मु.नं. 98/7, 99/9, 78/55 की कुल 25 बीघा भूमि में **पनो देवी पत्नी सावन सिंह, निर्मला देवी पत्नी ध्यान सिंह, खेम सिंह, बक्शीश सिंह, प्रवीण सिंह पुत्रगण ध्यान सिंह, तृप्ति देवी, सुरेखा देवी, किरण देवी, संजू पुत्रियां ध्यान सिंह** किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ को पालना हेतु पृथक से तहरीर जारी की हो।

(अजीत कुमार गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ajeet Kumar Godara
Date: 2024.06.14 11:07:53 IST
Reason: SelfAttested